RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 07/2025

अपीलांटगण–

1. श्री कानाराम पुत्र तुलसाराम
2. श्री प्रभुराम पुत्र तुलसाराम
3. श्री रूधाराम पुत्र तुलसाराम
4. श्री वोहताराम पुत्र तुलसाराम
5. श्री शंकराराम पुत्र तुलसाराम
6. श्री रावताराम पुत्र खुबाराम
7. श्री विशनाराम पुत्र खुबाराम
8. श्री वीराराम पुत्र खुबाराम
9. श्री पेमाराम पुत्र सवाराम
10. श्री मलाराम पुत्र सवाराम

जातियान कुम्हार , निवासीयान मोतिसरा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/लो.अ./2016/542 दिनांक 14.06.2016 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 28.05.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक / लो.अ. / 2016 / 542 दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मोतीसरा, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील–सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245 / 1 रकबा 121 बीघा 12 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.06.2016 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक / लो.अ. / 2016 / 542 दिनांक 14.06.2016 पारित किया गया। अपीलांटगण ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.03.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण की पैतृक भुमि मौजा मौजा मोतीसरा, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील–सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/1 रकबा 121 बीघा 12 विस्वा, में अवस्थित है। जो माला, तुलसा, खुबा व पेमा पिता सवा के नाम से दर्ज था। जिसमें सभी का बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 हिस्सा का अधिकार था। पक्षकारान अपने हिस्सानुसार अपने अपने बंट अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। पक्षकारान का पूर्व में मौखिक रूप से बाहमी बंटवारा किया हुआ है। इसी बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज है जिस पर पक्षकारान की ढाणीया, टांके चारा बाड़े इत्यादि बने हुए है। पक्षकारान के पूर्व में किये गये मौखिक बंटवारा के अनुसार मौके पर निर्विरोद्ध रूप से काश्त की जा रही है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि का समतल करके उपजाउ बनाया गया। अपीलाण्टगण का उपरोक्त अपीलाधीन आराजी में अपीलाण्टगण की रहवासी ढाणी एवं पानी रखने हेतू साधन बने हुए है अर्थात अपीलाटंगण अपने हिस्सा की भूमि में रहवासीय मकान टांका आदि साधन बनाया गया है। अपीलाण्टगण इस खेत में अपने हिस्से की भूमि पर वर्षालू प्राकृतिक पैदावार निरन्तर लेता आ रहा है और समस्त प्रकार का लाभ शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग करता आ रहा है तथा अपीलाण्टगण अपने हिस्से की भूमि का समतल कर के उपजाउ बनाया गया तथा अपने बाहमी तौर अपने अपने हिस्सा के कब्जे काश्त की भूमि का भी हिस्से अनुसार मौके पर बंटवारा किया गया एवं कब्जा काश्त बदस्तुर चलता रहा है। अपीलाधीन खेतान पक्षकारान के पैतृक उवं विरासतीय होने से अपीलाण्टगण का स्वतः ही हक अधिकार पैदा हो गया सभी पक्षकार अर्थात अपीलाण्टगण पुर्व में जब परिवार बड़ा हो गया और शामिल रहना कठिन हुआ तब सभी पक्षकारान खातेदारान ने बाहमी तौर बंटवारा किया और अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त अनुसार सुविधा की दुष्टि से अलग अलग पाने (खण्ड) बनाकर काबिज हुए और अपीलाण्टगण समस्त प्रकार के लाभ उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। मौके पर पक्षकारान का हिस्सा

जिला कलक्टर
बालोतरा

स्थाई चिन्ह से चिन्हित न होने के कारण फसल बुआई के समय पक्षकारान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। इस कारण पक्षकारान के द्वारा अपीलाधीन आराजी के बंटवारा करने का निर्णय लिया गया। सभी पक्षकारान हल्का पटवारी के पास जाकर मौके पर पूर्व में मौखिक बंटवारा के अनुसार काबिज अनुसार बंटवारा करने को कहा गया, तब हल्का पटवारी के द्वारा विभाजन प्रार्थना के खाली दस्तावेज पर पक्षकारान के हस्ताक्षर व अगुठे लिये गये तथा हल्का पटवारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके मौके पर काबिज अनुसार ही बंटवारा किया जायेगा। अपीलाण्टगण इस विश्वास पर रहे की मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा कर दिया जायेगा। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत तहसीलदार सिणधरी के विभाजन आदेश के आधार विभाजन किया गया। अपीलाधीन आराजी का बंटवाड़ा मौका पर जाकर तैयार नही किया गया। लोक अदालत कैम्प उसी दिन तहसीलदार सिणधरी के द्वारा जल्दबाजी में आकर लोक अदालत में केवल मात्र खाना पुर्ति हेतु आनन फानन से स्वीकार कर दिया गया। अर्सा 20–25 दिन पूर्व जब अपीलाण्टगण ने अपने खेत की पैमाईश करवानी चाही तब जानकारी में आया कि विभाजन पक्षकारान के कब्जा काश्त के विपरित हो गया। उसी के अनुरूप हल्का कर्मचारियों द्वारा बंटवाड़े की तरमीम नहीं किये जाने से उक्त विभाजन से बंटवाड़े का उद्धेश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। इस हेतु समस्त अपीलांटगण की सहमती पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक / लो.अ. / 2016 / 542 दिनांक 14.06.2016 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाना चाहते है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार कर अपीलाधिन निर्णय दिनांक 14.06.2016 को आशिंक निरस्त करने, अपीलाण्टगण व उतरदातागण की आराजी का आदेश प्रदान करावे।

इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने

जिला कलक्टर
बालोतरा

मौका कब्जा की जांच नहीं किया गया तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में भिन्नता होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश बहाल रखते हुए पुनः बटवाड़ा करने हेतु प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को रिमाण्ड करते हुए नये सिरे से मौके की स्थिति अनुसार विभाजन करने का आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 से आलोच्य मूल अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया गया।

6. हमने अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा मोतीसरा, पटवार हल्का पायला खुर्द, तहसील–सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245 / 1 रकबा 121 बीघा 12 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.06.2016 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक / लो.अ. / 2016 / 542 दिनांक 14.06.2016 पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश आदेश क्रमांक / लो.अ. / 2016 / 542 दिनांक 14.06.2016 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए एव पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर बालोतरा